

फर्द अहकाम

2023 20

राहुल बनाम कानाराग गवेल

नाम न्यायालय

ACM - चौख जमपुर

केस संख्या 09 / 2023

काद

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विवृत रूप में	विशेष विवरण
	30/01/23	अधिवक्ता भार. एम. बदाला ने दावा पेश किया। रिपोर्ट दफ्तर है - सुनी है। ज्ञा. पत्र चारा 80(2) CPC का स्वीकार किया जाता है। दावा दर्ज रजिस्टर हो। उल्लेखित है तलली जरिये रजि. एडो. एवं सामान्य तलवाना दोनों प्रक्रमों से पत्रावली जा कर पत्रावली आगामी दिनांक 03/03/23 को पेश हो।	
	3/3/23	वकीलों द्वारा आज कण्डोलैस/कार्य स्थापित रखे जाने से पत्रावली गत आज्ञानुसार दिनांक 10/5/23 को पेश हो।	
	10/5/23	प्रसाइडिंग ऑफिसर कारे/अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 30/5/23 को पेश हो।	
	30/5/23	पत्रावली पेश हुई। वकील ने प्रथम अधिवक्ता उपस्थित। वकील ने प्रार्थना पत्र किया का पेश कर निवेदन किया कि पत्रावली के तहत आपसी सहमति से राजीनामा हो गया है। वकील ने 'आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। पत्रावली को बिना किन्हीं जांचे के निवेदन किया गया। पत्रावली व प्रार्थना पत्र का इन्सोल्वेंस किया गया। - पूंकि पत्रावली ने सहमति से राजीनामा हो - पुल है तथा वकील की कद बिना करना - पत्रावली द्वारा वकील को बदपत्र किया करने की अनुमति प्रदान की जाती है। बाद बिना के आधार पर रखित किया जाता है। पत्रावली फंसल शृंखला होकर रजि. नंबर से कानाराग तथा दरिबल दफ्तर हो।	<p>वाक आगे वही</p> <p>यसमा महारा</p> <p>है</p> <p>राहुल कुमार</p> <p>8426370649</p> <p><i>(Signature)</i></p> <p><i>(Signature)</i></p> <p>(अधीनस्थ न्यायाधीश)</p>